

15<sup>5</sup>/<sub>२५</sub>

अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि की भौका स्थिति हेतु रिपोर्ट ली जानी आवश्यक है। तदनुसार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। पत्रावली वाले इंतजार रिपोर्ट दिनांक 18/6/२५ को पेश हो।

18<sup>6</sup>/<sub>२५</sub>

वादि्या व वादि्या अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादि्या व वादि्या अधिवक्ता को रुक-रूक कर उबार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। वादि्या का वादपत्र अंतर्गत धारा 188 R.A.A अदम पेशवी, अदम तालरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निवृत्ति होकर गम्बर से कम होकर वायल पकतर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

